उत्तर प्रदेश शासन

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1

संख्या- 40/899/84-1-2013-867विविध/2013

लखनऊ दिनॉक 07 अक्टूबर, 2013

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

मे0 रिलायन्स फ्रेश लिमिटेड वर्तमान में रिलायन्स रिटेल लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी श्री प्रतुल श्रीवास्तव, एडवोकेट द्वारा विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा-50(2) के प्राविधानानुसार नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के आदेश पत्रांक 1027/ निविमावि-प्रवर्तन/ अपील नं0 03/2011, दिनॉक 18 जून, 2013 द्वारा पारित/निर्गत, निर्णय के विरूद्व प्रस्तुत अपील दिनॉक 20 अगस्त, 2013 पर शासन द्वारा सम्यक् विचार किया गया। विचारोपरान्त यह पाया गया, कि विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा-50 (2) में शासन में अपील प्रस्तुत करने हेतु 60 दिन की समय सीमा निर्धारित है, जबकि प्रस्तुत अपील नियत समय सीमा के बाद प्रस्तुत की गयी है, जो कि कालबाधित होने के कारण ग्राह्य नहीं है। इसके अतिरिक्त उ0प्र0 विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2011 के नियम-26 (1)(2) के अनुसार नियत शुल्क अदा किये जाने का भी प्राविधान है, जबकि प्रस्तुत अपील के साथ कोई शुल्क अदा नहीं किया गया है।

अतएव उक्त अधिनियम/नियमावली में निहित प्रभावी प्राविधानों के तहत अपील दिनॉक 20 अगस्त, 2013 निर्धारित शुल्क अदा न करने एवं कालबाधित होने के कारण ग्राह्य नहीं है तदनुसार प्रश्नगत अपील एतद्द्वारा निरस्त की जाती है।

दीपक त्रिवेदी

प्रमुख सचिव।

<u>संख्या तथा दिनॉक यथोक्त</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- रिलायन्स रिटेल लिमिटेड, प्रथम तल, A-3, मोहन को-आपरेटिव इन्डस्टियल स्टेट, अपोजिट सरिता बिहार, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110 044

2- नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-316/निविमावि-प्रवर्तन(अपील)/13, दिनॉक 02 सितम्बर, 2013 के संदर्भ में।

3- श्री प्रतुल श्रीवास्तव, एडवोकेट, सी-ब्लाक, सेक्टर-13/7062, राजाजीपुरम् लखनऊ।

आज्ञा से,

(धर्म चन्द्र पाण्डेय)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in